No. NCSC-CCEL-06/1/2022-UA-(Admin)

Government of India
National Commission for Scheduled Castes
(A Constitutional body set up under Article 338 of the Constitution of India)
*****

5th Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi-110003
Dated: January 2023

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Minutes of the Eighth Meeting of the 6th Commission of National Commission for Scheduled Castes held on 23rd November 2022-reg

The undersigned is directed to say that the eighth Full Commission Meeting of the 6th Commission of National Commission for Scheduled Castes (NCSC) was held under the Chairmanship of Hon'ble Chairman, National Commission of Scheduled Castes (NCSC) in his chamber on 23rd November 2022 at 5th Floor, Lok Nayak Bhawan, New Delhi.

2. The Minutes of the above said meeting are circulated herewith for information and taking necessary action by all concerned.

(Jitendra Sihwag)
Under Secretary to the Government of India

Copy to: -

1. Sr. PPS to Hon'ble Chairman, NCSC.
2. PS to Hon'ble vice-Chairman, NCSC.
3. PS to Hon'ble Member (SRP), NCSC.
4. PS to Hon'ble Member (AB), NCSC.
5. Sr. PPS to Secretary, NSCS.
6. PA to Joint Secretary, NCSC.
7. All Directors & Under Secretaries in NCSC.
8. Guard File

MINUTES OF 8TH FULL COMMISSION MEETING HELD ON 23.11.2022

At the outset, Hon'ble Chairman, National Commission for Scheduled Castes (NCSC) welcomed all the participants to the 8th Full Commission Meeting of the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) held on 23rd November, 2022 in the NCSC Headquarters at New Delhi. List of participants is at Annexure-1. The Agenda items were taken up for discussion and the proceedings are as under:-

Agenda Item No.1: Confirmation of Minutes of 7th Full Commission Meeting held on 10.06.2022.

Decision Taken: Minutes of the 7th Full Commission Meeting held on 10.06.2022 were approved by the Commission unanimously.

Agenda Item No.2: Matters for Appraisal of the Commission

Decision/Outcome:

(A) Vacant post of DIG (P) filled.

The Commission was apprised that after vigorously pursuing the matter with Ministry of Home Affairs, the post of Deputy Inspector General of Police [DIG (P)] has finally been filled up. Ms. Sanmeet Kaur, IPS (NL: 2007) has joined the Commission as DIG (P) on 24.09.2022.

The Commission was pleased to know that the long vacant post of DIG (P) has since been filled.

[*Sl. No. 2(1) of Agenda for Meeting*]

(B) Filling up deputation quota posts of Director, Deputy Director and Assistant. Director:

The Commission was apprised that all the applications received for filling the vacant deputation quota posts of Director (Jt. Cadre), Deputy Director (Jt. Cadre) and Assistant Director (Jt. Cadre) have been preliminary scrutinized by an Internal Committee of the Commission to facilitate the Ministry of Social Justice & Empowerment (MSJE), who is the cadre controlling and appointing authority for these posts. The files containing applications and the minutes of the Internal Scrutiny Committee have been sent to the Ministry.

The Commission expressed its satisfaction over this and desired that the matter may be followed up with MSJE so that these vacant posts are filled up at the earliest.

[*Sl. No. 2(2) of Agenda for Meeting*]

(C) Filling up DR quota posts of Assistant Director.

The Commission was apprised that for filling up the 03 vacant Direct Recruitment (DR) quota posts of Assistant Director (Jt. Cadre), a proposal had been sent to MSJE being the cadre controlling & appointing authority. MSJE sought some clarification/additional information which has since been sent by the Commission vide letter dated 17.11.2022. Besides this, matter is also being pursued with MSJE so that these posts are filled up at the earliest.

The Commission expressed its satisfaction over the same and desired that the matter may be followed up with MSJE so that these vacant posts are filled up at the earliest.

[*Sl. No. 2(3) of Agenda for Meeting*]

(D) Filling up deputation posts of RO, Senior Investigator and Accountant.

The Commission was apprised that for filling up the vacant deputation quota posts of Research Officer, Senior Investigator and Accountant, advertisement inviting applications for the same had been issued but no application was received from eligible candidates. Therefore, these posts have been advertised again. Vacancy Circular inviting applications for the post of Senior Investigator and Accountant have been issued on 09.11.2022 and Vacancy Circular inviting applications for the post of Research Officer has been issued on 14.11.2022.

The Commission desired that all efforts may be made to ensure filling up the vacant deputation quota posts of Research Officer, Senior Investigator and Accountant on priority.

[*Sl. No. 2(4) of Agenda for Meeting*]

(E) Filling up DR quota posts of Sr. Investigator & Investigator.

The Commission was apprised of the follow up action of the meeting held between Hon'ble Chairman, NCSC and Chairman, Staff Selection Commission (SSC) in the NCSC Headquarters (HQ) on 29.06.2022 for filling the vacant 04 DR quota posts of Senior Investigator and 19 vacant DR quota posts of Investigator. SSC has provided list/ data (in two CDs) of those candidates who qualified the Combined Graduate Level Examination (CGLE), 2018 and Combined Graduate Level Examination, 2019 but were not given offer of appointment due to limited number of vacancies. Data provided by SSC has been examined and additional information has been called for from the candidates. This information shall be sent to SSC with a request to provide dossiers of

candidates eligible for being appointed after taking into consideration the eligibility criteria in the recruitment rules.

The Commission desired that a meeting of Hon'ble Chairman, NCSC with Chairman, SSC may again be arranged in the NCSC HQ to expedite the matter.

[*Sl. No. 2(5) of Agenda for Meeting*]

(F) Signing of MoU with BISAG-N

The Commission was informed that full operationalization of e-Grievance Management system of the Commission; that has been developed by Bhaskaracharya Institute for Space Applications and Geoinformatics (BISAG-N) was held up for want of person/manpower with required skill-set for the same. In the 6th Full Commission Meeting it was decided to approach NICSI, BISAG-N, NISG and other such agencies to obtain manpower to operationalize the grievance management portal. The Secretary, NCSC suggested that instead of merely hiring manpower, an agency capable of providing manpower and monitoring their performance i.e an agency working as an umbrella organization for the work of the Commission may be entrusted this work to ensure efficiency and accountability in work. Different agencies were contacted for the same. After extensive deliberations, it was decided to get the person/manpower from BISAG-N in view of the fact that the e-Grievance Management Portal has been designed by same agency. For this purpose, a Memorandum of Understanding (MoU) has since been signed between the Commission and BISAG-N on 11.11.2022. The total cost of the project is Rs.1,26,72,000/- (Rupees One Crore, Twenty-six Lakhs, Seventy-two Thousand). . BISAG-N will not only provide manpower with required skill-set, but will also do the necessary scrutiny for proper maintenance of data in an easy searchable mode and after completion of the tenure will transfer all the data & programme application to NCSC. It will also facilitate Capacity Building of NCSC officials. Since, it is a big and important project for digitization of NCSC working and there was a reference from the Ministry regarding the project, we may apprise MSJE of the MoU signed between NCSC and BISAG-N for information and keep them posted about the activities being carried out in NCSC towards DIGITAL INDIA campaign.

The Commission was pleased to know the same and agreed to the proposal.

[*Sl. No. 2(6) of Agenda for Meeting*]

(G) Complete Digitization of NCSC.

The Commission was apprised that in order to fulfill Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi's ambition of Digital India, transforming India into digital empowered society and to keep pace with e-Governance Management portal of the Commission, a massive exercise has been undertaken for digitization of records & functioning of the Commission. Almost all the active files (numbering about 1,17,500) containing approximately 10.50 lakh pages have been scanned and the same are now being migrated to e-Office. Action is also being taken for preparation of metadata of the scanned files/ documents for easy searching & easy retrieval of data. The same is likely to be completed shortly. After that the exercise of digitization of records & functioning of state offices of the Commission will be undertaken.

The Commission was pleased to know the same. It was also decided that Digitization work in NCSC State Offices should also be started at the earliest so that there is consistency in the functioning of NCSC HQ and NCSC State Offices.

[*Sl. No. 2(7) of Agenda for Meeting*]

(H) Engagement of Consultants (Retd. Govt. Servants & Legal).

The Commission was informed that as per decision taken in the 6th Full Commission Meeting held on 13.12.2021 for engagement of retired Government Servants and Legal Consultants, 05 Nos. of Consultants (Retired Govt. Servants) have been engaged after following the due procedure. The selection of Legal Consultants has also been completed and the file has been submitted to the Hon'ble Chairman for approval.

The Commission expressed its satisfaction over the same.

(I) Engagement of 07 Office Assistants.

The Commission was informed that since the work of the Commission was suffering badly due to shortage of manpower & that it is like to take some time in filling the vacant posts on regular basis, therefore 07 Office Assistants with a fixed monthly remuneration @ Rs.30,000/- have been engaged for strengthening programme divisions of the Commission so that the core work of the Commission in APCR, ESDW and SSW may not suffer. The Commission was also informed that at present there is only 01 outsourced IT professional and there is an urgent need for having at-least one more IT professional for smooth functioning of the

Commission as well as to meet any unforeseen eventuality that may arise in case the lone IT professional is not available for one reason or the other. Therefore, one more IT professional has been engaged on outsource basis. The Commission was further informed that action is also under way for setting up a National Informatics Centre (NIC) cell in the Commission which ceased to exist long back.

The Commission expressed its pleasure over the same.

[*Sl. No. 2(8) of Agenda for Meeting*]

(J) Allotment of office space to NCSC HQ at 7th floor.

The Commission was apprised that as there was acute shortage of office space in the Commission and that the exercise for getting additional office space was being undertaken for the last several years but was not yielding any fruitful results. This issue had also been discussed in the 5th Full Commission Meeting held on 11.10.2021 wherein it had been decided to acquire additional office space for NCSC HQ. The Commission took up the matter with Directorate of Estates (DOE) at senior officers' level. Thereafter, some office space (4000 sq. ft. approx.) was allotted at 4th floor to the Commission by DOE. But possession of the same could not be taken because the Department which was in possession of the said office space at 4th floor did not vacate it.

Thereafter, a meeting of the officers of DOE and M/o Housing and Urban Affairs (HUA) was organized in the Commission under the chairmanship of Hon'ble Chairman. Finally, alternate office space measuring about 17,000 sq. ft.has been allotted to the Commission at 7th floor, Loknayak Bhawan. In lieu of this, the office space that was in possession of the Commission at 2nd, 3rd & 9th floor (about 4,000 sq. ft) has since been vacated after taking possession of office space at 7th floor.

The Commission was apprised that out of the 17,000 sq. ft. of office space that has been allotted to the Commission at 7th floor, office space measuring about 10,000 sq. ft. is fully furnished and is being used. The remaining 7,000 sq. ft. is required to be renovated. The renovation work is proposed to be got done by CPWD. For this purpose, the layout plan prepared by CPWD was placed before the Commission.

The Commission expressed its pleasure over the fact that long awaited requirement of office space in NCSC HQ has since been fulfilled. Further, some modifications have been suggested by the

Commission in layout plan prepared by CPWD. CPWD will submit the modified layout plan which will be submitted to the Hon'ble Chairman for approval.
[*Sl. No. 2(9)(a) of Agenda for Meeting*]

(K) Allotment of office space in Mumbai

The Commission was informed that after vigorously pursuing the matter with DOE and personal intervention of Hon'ble Chairman and Hon'ble Member (SRP), DOE has recently allotted 4830 sq. ft. of office space in Nishtha Bhawan, Church Road, Mumbai for shifting of the NCSC State Office from Pune to Mumbai. Possession of the said office space has since been taken on 19.09.2022. This office space is required to be renovated and the renovation work is proposed to be done by CPWD. For this purpose layout prepared by CPWD was placed before the Commission.

The Commission expressed its pleasure over that fact that now the Commission will have its office in Mumbai which is well connected by road as well as by air and so it will be easier both for the petitioners and the authorities to reach to the Commission. With regard to layout prepared by CPWD, some changes have been suggested. CPWD will submit revised layout plan which will first be shown to Hon'ble Member (SRP) who is having the jurisdiction over Maharashtra and have also visited the office space that has been allotted at Mumbai. After it is approved by Hon'ble Member (SRP), the same will be submitted for approval of the Hon'ble Chairman.
[*Sl. No. 2(9)(b) of Agenda for Meeting*]

(L) Requirement of office space at Kolkata

The Commission was informed that there is acute shortage of office space at NCSC State Office at Kolkata. The persistent efforts to obtain the additional/ new space have failed to yield the desired results. Presently the NCSC State Office is located in Mayukh Bhawan, Salt Lake City (premises owned by Government of West Bengal) having an area of 2400 sq. ft. (approx.) as against the required 4000 sq. ft. (approx.). After much persuasion office space measuring 1132 sq. ft. has been allotted in MSO Building, Nizam Place i.e., at a different place. The Commission was also informed that office space measuring about 2000 sq. ft. is vacant in Mayukh Bhawan (Ground Floor) itself.

The Commission desired that if required office space is not becoming available either in MSO Building, Nizam Place or in CGO Complex (both owned by Central Government), then needful may be done for obtaining additional office space in Mayukh Bhawan itself. The Commission may be apprised of the progress made in the matter from time-to-time.
[*Sl. No. 2(9)(c) of Agenda for Meeting*]

(M) Release of funds for renovation of State Office Agartala.
The Commission was informed that the technical issues that were there in release of funds for renovation of NCSC State Office has since been resolved. Fresh Letter of Authority for release of funds has since been issued to CPWD.
The Commission noted the same.
[*Sl. No. 2(9)(d) of Agenda for Meeting*]

(N) Procurement of IT Infrastructure.
The Commission was informed that not only there is shortage of IT infrastructure (Computer, Laptop, Printer, Scanner) but a large number of them have become obsolete. The Department of Electronics & Information Technology has recently issued an advisory to ensure that the electronic devices fulfill certain basic benchmarks, which has necessitated procurement of electronic devices. Therefore, procurement of IT infrastructure viz. All-in-one PC (52 Nos), Laptop (7 Nos) and Multifunction printer (19 Nos) for NCSC (HQ) and State Offices of the Commission are under way in consultation with NIC of MSJE. These are being procured through GeM in compliance of Rule 149 of GFR, 2017. Technical Evaluation of the bids received has since been done on 17.11.2022 by the Committee formed for the purpose. Once the Technical Evaluation is approved by the competent authority, further action for financial evaluation etc. will be done. The order is likely to be placed soon. The Commission was also informed that 02 heavy duty photocopier machines have already been purchased for NCSC (HQ). The Commission was also informed that since the amount involved in these procurements is likely to be on a higher side i.e Rs.70 lakhs or more, hence it is proposed to obtain concurrence of IFD, MSJE.
The Commission agreed to the proposal.
[*Sl. No. 2(10) of Agenda for Meeting*]

(O) Condemnation of old vehicles & procurement of new ones

The Commission was informed that the proposal for condemnation of old vehicles & procurement of 02 Innova Crysta and 04 CIAZ had been sent to MSJE. MSJE desired that the proposal may be re-examined in the light of recent order of M/o Finance in the matter dated 1st September, 2022. wherein Net Dealer Price (NDP) for procurement of government vehicles has been increased fromRs.4.75 to Rs 6.00 lakh. The Commission was informed that file has already been sent to MSJE after re-examining the proposal in terms of M/o Finance order dated 01/09/2022. Approval of MSJE is likely to be received shortly.

The Commission noted the same.

The Commission also expressed that since Airport Authority of India is not available at all places. Hence any other option like getting condemnation certificate of the vehicle from concerned State Authorities may be explored.[*Sl. No. 2(11) of Agenda for Meeting*]

(P) Change of Agency providing outsourced staff.

The Commission was informed that the two agencies which were providing outsourced manpower for the last several years and one of them namely Sarvesh was very irregular in making payments to outsourced staff have since been replaced with a new agency that is providing manpower in MSJE. This new agency is making payments in time.

The Commission noted the same. It was also noted that now there is no grievance from outsourced staff with regard to their payment.

[*Sl. No. 2(12) of Agenda for Meeting*]

(Q) Revision in delegation of Financial Powers in NCSC

The Commission was informed that for smooth functioning of the NCSC HQ and NCSC State Offices, it is necessary that the existing delegation of financial powers is revised making it in conformity with the practice prevailing in other central government offices. A draft revised

Delegation of Financial Powers has been attempted and shall be finalized soon.

The Commission noted the same. It was also decided that this may be done in consultation with IFD of MSJE.

[*Sl. No. 2(14) of Agenda for Meeting*]

(R) Approval of Annual Report for the year 2020-21 & 2021-22

The Commission was informed that Annual Report of the Commission for the year 2020-21 & 2021-22 has since been prepared and the same was placed before the Commission for their perusal & approval.

The Annual Report was discussed. Some modification/additions have been suggested by the Commission to make it more focused. After doing the needful, the same will be placed again before the Hon'ble Chairman for his perusal & approval.

Agenda Item No.3: The Commission was informed that MSJE has solicited comments of NCSC on their proposal for inclusion of 'Mahra/Mahara' as synonyms of 'Mahar, Mehra, Mehar' in the list of Scheduled Castes for the State of Chhattisgarh. The proposal was initiation by State of Chhattisgarh and has been supported by Office of the Registrar General of India (RGI). This is there in the State of Madhya Pradesh.

Decision Taken: The Commission perused the details placed before it, deliberated upon the matter and decided to support the proposal. MSJE to be informed accordingly.

Agenda Item No.4: The Commission was informed that MSJE had sent a draft memorandum for Expenditure Finance Committee (EFC) for "Providing one-time financial assistance for socio-economic empowerment of Scheduled Castes through infrastructure development and income-generation programmes" under the Scheme of Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana (PM-AJAY : DAPSC) soliciting comments of NCSC. The Commission was further informed that the comment of NCSC was required to be furnished immediately. So, after examining the case, a reply supporting the proposal was sent to

MSJE vide letter No. NCSC-ESDW04/9/2022-ESDW (54673) dated-11.10.2022. Ex-post facto approval of the same was solicited from the Commission.

Decision Taken: The Commission perused the details placed before it, deliberated upon the matter and accorded ex-post facto approval for the same.

Agenda Item No.5: The Commission was informed that Ministry of Cooperation had sent a draft Cabinet Note on "Strengthening Cooperative Movement in the Country and deepening its Reach up to the Grassroots" soliciting comments of NCSC. The Commission was further informed that the comment of NCSC was required to be furnished immediately. So, after examining the case, a 'Nil' reply has been sent vide letter No. NCSC-SSW107/1/2022-US-(SSW)-[59072] dated-17.11.2022. Ex-post facto approval of the same was solicited from the Commission.

Decision Taken: The Commission perused the details placed before it, deliberated upon the matter and accorded ex-post facto approval for the same.

Agenda Item No.6: The Commission was informed that MSJE had sought comments of NCSC on their proposal for inclusion of Valmiki community as synonym of Balmiki in the list of Scheduled Castes of Jammu & Kashmir. The proposal had been sent by Jammu & Kashmir and had been supported by RGI. The Commission was further informed that the comment of NCSC was required to be furnished immediately. So, with the approval of Hon'ble Chairman, vide letter No. NCSC-SSW1010/1/2022-US-(SSW) dated 12.10.2022, it has been replied to MSJE that the Commission supports the proposal. Ex-post facto approval of the same was solicited from the Commission.

Decision Taken: The Commission perused the details placed before it, deliberated upon the matter and accorded ex-post facto approval for the same.

The meeting ended with vote of thanks to the chair.

****

<u>Annexure-I</u>

List of participants in 8th Full Commission Meeting held on 23.11.2022

Sl. No. Name & Designation

1. Shri Vijay Sampla, Hon’ble Chairman, NCSC : in Chair
2. Shri Arun Halder, Hon’ble Vice-Chairman, NCSC
3. Shri Subhash Ramnath Pardhi, Hon’ble Member, NCSC
4. Smt. (Dr.) Anju Bala, Hon’ble Member, NCSC
5. Smt. Upma Srivastava, Secretary, NCSC
6. Shri Gyaneshwar Kumar Singh, Joint Secretary, NCSC
7. Ms. Sanmeet Kaur, DIG(P), NCSC
8. Shri Sandesh Saxena, Director, NCSC
9. Shri Kaushal Kumar, Director, NCSC
10. Shri Kishan Chand, Under Secretary, NCSC
11. Shri Dilip Kumar Gupta, Under Secretary, NCSC
12. Smt. Ayushi Rastogi, Deputy Director, NCSC

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की 23.11.2022 को आयोजित 8वीं पूर्ण बैठक का कार्यवृत्त।

प्रारंभ में, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की 8वीं पूर्ण बैठक, जो 23 नवम्बर, 2022 को एनसीएससी के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित की गई, के सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। प्रतिभागियों की सूची **अनुबंध-I** पर प्रस्तुत है। बैठक में कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया और कार्यवाही का विवरण इस प्रकार है।

कार्यसूची की मद सं.1 : आयोग की दिनांक 10.06.22 को आयोजित 7वीं पूर्ण बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

लिया गया निर्णय : आयोग द्वारा आयोग की 10.06.2022 को आयोजित 7वीं पूर्ण बैठक का कार्यवृत्त एकमत से अनुमोदित किया गया।

कार्यसूची की मद सं.2 : आयोग के मूल्यांकन के लिए मामले

निर्णय/परिणाम

क. डीआईजी (पुलिस) का रिक्त पद भरना

आयोग को यह बताया गया कि गृह मंत्रालय के साथ मामले को लगातार उठाने के बाद, पुलिस महानिदेशक [डीआईजी (पुलिस)] का पद को अंततः भर लिया गया है। सुश्री सनमीत कौर, आईपीएस (एनएल) : 2007 ने 24.09.2022 को डीआईजी (पुलिस) के रूप में आयोग में कार्यभार ग्रहण किया है।

आयोग को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि काफी समय से डीआईजी (पुलिस) का रिक्त पद अब भर लिया गया है।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (1)]

ख. निदेशक, उप-निदेशक और सहायक निदेशक के प्रतिनियुक्ति कोटे के पदों को भरना

आयोग को यह जानकारी दी गई कि निदेशक (संयुक्त संवर्ग), उप-निदेशक (संयुक्त संवर्ग) और सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) के प्रतिनियुक्ति कोटे के पदों भरने के लिए प्राप्त सभी आवेदनों की जांच आयोग की आंतरिक जांच समित द्वारा की गयी ताकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (एमएसजेई) जो इन पदों को भरने के लिए संवर्ग नियंत्रण तथा नियुक्ति प्राधिकारी है, इस पर शीघ्र कार्रवाई कर सके इसलिए आवेदनों और आंतरिक जांच समिति वाली फाइलें मंत्रालय भेज दी गई है।

आयोग ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की और यह इच्छा व्यक्त की कि इस मामले को एमएसजेई के साथ उठाया जाए ताकि इन रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जा सके।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2(2)]

ग. सहायक निदेशक के सीधी भर्ती कोटे के पदों को भरना

आयोग को यह जानकारी दी गई कि सहायक निदेशक (संयुक्त संवर्ग) के सीधी भर्ती (डीआर) कोटे के 3 रिक्त पदों को भरने के लिए एक प्रस्ताव

एमएसजेई जो संवर्ग नियंत्रण और नियुक्ति प्राधिकारी है, भेजा गया था। एमएसजेई ने कुछ स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना मांगी थी जिसे आयोग द्वारा दिनांक 17.11.2022 के तहत भेजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त, यह मामला एमएसजेई के साथ भी उठाया जा रहा है ताकि इन पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जा सके।

आयोग ने इस संबंध में अपनी संतुष्टि व्यक्ति की और इच्छा व्यक्त की कि इस मामले पर एमएसजेई के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाए ताकि रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जा सके ।
[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (3)]

घ. अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक और लेखाकार के प्रतिनियुक्ति के पदों को भरना
आयोग को यह जानकारी दी गई कि अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक और लेखाकार के प्रतिनियुक्ति कोटे के रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु विज्ञापन जारी किया गया था लेकिन किसी पात्र उम्मीदवार से आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। अत: इन पदों को पुन: विज्ञापित किया गया है। वरिष्ठ अन्वेषक और लेखाकार के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्ति संबंधी परिपत्र 09.11.2022 को जारी किया गया है और अनुसंधान अधिकारी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए रिक्ति संबंधी परिपत्र 14.11.2022 को जारी किया गया है।

आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि अनुसंधान अधिकारी, वरिष्ठ अन्वेषक और लेखाकार के प्रतिनियुक्ति कोटे के रिक्त पदों को भरने के सभी प्रयास किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (4)]

ड. वरिष्ठ अन्वेषक और अन्वेषक के सीधी भर्ती कोटे के पद भरना
आयोग को वरिष्ठ अन्वेषक के सीधी भर्ती कोटे के 4 रिक्त पदों और अन्वेषक की सीधी भर्ती के 19 रिक्त पदों को भरने के लिए 29.06.2022 को एनसीएससी मुख्यालय में माननीय अध्यक्ष, एनसीएससी और अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के बीच आयोजित बैठक के संबंध में की गई अनुवर्ती कार्रवाई की जानकारी दी गई। एसएससी ने उन उम्मीदवारों की सूची/डाटा (2 सीडी में) में उपलब्ध कराई है जिन्होंने संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा (सीजीएलई), 2018 और संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, 2019 उत्तीर्ण की थी, लेकिन रिक्तियों की सीमित संख्या होने की वजह से उन्हें नियुक्ति प्रस्ताव नहीं दिया जा सका। एसएससी द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा की जांच की गई तथा उम्मीदवारों से

अतिरिक्त सूचना मांगी गयी हैं । यह सूचना भर्ती नियमों में पात्रता मानदंडों को ध्यान में रखते हुए एसएससी को इस अनुरोध के साथ भेजी गई है कि वह नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों के डोजियर उपलब्ध कराएं ।
आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि माननीय अध्यक्ष, एनसीएससी की अध्यक्ष एसएससी के साथ एनसीएससी मुख्यालय में एक और बैठक आयोजित की जाए।
[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (5)]

च. बीआईएसएजी-एन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

आयोग को यह सूचना दी गई कि आयोग की ई-शिकायत प्रबंधन प्रणाली जिसे भास्कर इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो-इंफार्मेटिक्स (बीआईएसएजी-एन) द्वारा विकसित किया गया है, को अपेक्षित कौशलयुक्त व्यक्ति/जनशक्ति के अभाव में पूर्ण कार्यशील नहीं किया जा सका है। पूर्ण आयोग की छठी बैठक में उक्त शिकायत प्रबंधन पोर्टल को कार्यशील बनाने के लिए श्रमशक्ति प्राप्त करने हेतु एनआईसीएसआई, बीआईएसएजी-एन, एनआईएसजी और अन्य ऐसी एजेंसियों से सम्पर्क करने का निर्णय लिया गया था । सचिव, एनसीएससी ने सुझाव दिया कि केवल जनशक्ति किराए पर लेने की बजाय एक ऐसी एजेंसी को काम सौंपा जाए जो जनशक्ति उपलब्ध कराए जाने के साथ-साथ इस कार्य की निगरानी भी कर सकें अर्थात् इस कार्य में दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह कार्य एक ऐसी एजेंसी को सौंपा जाए जो आयोग के कार्य के लिए एक छत्रक संगठन हो । विभिन्न एजेंसियों के साथ इस संबंध में संपर्क किया गया था। काफी विचार-विमर्श करने के बाद, बीआईएसएजी-एन से व्यक्ति/जनशक्ति लेने का निर्णय लिया गया। इस प्रयोजन के लिए, **आयोग और बीआईएसएजी-एन के बीच 11.11.2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लागत 1,26,72,000 (एक करोड़ छब्बीस लाख बहत्तर हजार रुपए) है।** बीआईएसएजी-एन न केवल अपेक्षित कौशल सेट के साथ जनशक्ति उपलब्ध कराएगा अपितु आसान सर्चएबल मोड में डाटा को उपयुक्त रूप से रखने के लिए आवश्यक जांच भी करेगा और अवधि पूरी होने बाद वह एनसीएससी को सभी डाटा और प्रोग्राम एप्लीकेशन अंतरित कर देगा। यह एनसीएससी के अधिकारियों की क्षमता निर्माण में भी सहयोग देगा। चूंकि आयोग का दिजिटीकरण एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना है और इस विषय में मंत्रालय से भी संदर्भ प्राप्त हुआ था, अत: एमएसजेई को एनसीएससी और बीआईएसएजी-एन के बीच हुए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें डिजिटल इंडिया अभियान के लिए आयोग में किए जा रहे कार्यकलापों के बारे में भी अवगत कराया जाए ।

आयोग को यह जानकार प्रसन्नता हुई और इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (6)]

छ. आयोग का पूर्ण डिजिटलीकरण

आयोग को अवगत कराया गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल सशक्त समाज में परिवर्तित करने और आयोग के ई-गवर्नेंस प्रबंधन पोर्टल के साथ गति बनाए रखने की अभिलाषा को पूरा करने की दृष्टि से, आयोग के रिकार्ड और कार्यकरण के डिजिटाइजेशन के लिए व्यापक कार्रवाई की गई है। लगभग 10.50 लाख पृष्ठों वाली लगभग सभी सक्रिय फाइलों (लगभग 117500 फाइलें) को स्कैन किया गया है और उन्हें अब ई-ऑफिस में डाला गया है। डाटा को आसानी से खोजने और उसे आसानी से वापस प्राप्त करने के लिए स्कैन की गई फाइलों/दस्तावेजों का मैटाडाटा तैयार करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई शीघ्र ही पूरी किए जाने की संभावना है। इसके बाद, आयोग के राज्य कार्यालयों के रिकार्ड और कार्यकरण का डिजिटलीकरण करने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी।

आयोग को यह जानकर प्रसन्नता हुई और यह निर्णय लिया गया कि एनसीएससी के राज्य कार्यालयों में डिजिटाइजेशन का कार्य शीघ्रातिशीघ्र शुरू किया जाए ताकि आयोग मुख्यालय और एनसीएससी राज्य कार्यालयों के कार्यकरण में एकरूपता बनी रहे।

ज. परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और विधि) की नियुक्ति

आयोग को यह सूचित किया गया कि आयोग की 13.12.2021 को आयोजित छठी पूर्ण बैठक में जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और विधि परामर्शदाताओं की नियुक्ति करने के संबंध में निर्णय लिया गया था, उक्त निर्णय के अनुसार, उचित प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात् 5 परामर्शदाताओं (सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों) की नियुक्ति कर ली गई है और विधि परामर्शदाताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है और फाइल माननीय अध्यक्ष के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दी गई है ।

आयोग ने इस पर अपना संतोष व्यक्त किया।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (7)]

## झ.	07 कार्यालय सहायकों की नियुक्ति

आयोग को यह बताया गया कि चूंकि जनशक्ति के अभाव में आयोग का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था और रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने में कुछ समय लगने की आशा है, अत: आयोग के कार्यक्रम प्रभागों को सुदृढ़ करने के लिए 7 कार्यालय सहायकों की 30,000 रुपए की दर से नियत मासिक पारिश्रमिक पर नियुक्ति की गई है ताकि एपीसीआर, ईएसडीडब्ल्यू और एसएसडब्ल्यू में आयोग क्रोड कार्य प्रभावित न हो। आयोग को यह भी बताया गया कि वर्तमान में केवल एक आउटसोर्स आईटी पेशेवर है और आयोग के कारगर कार्यान्वयन तथा अप्रत्याशित स्थिति में जो उस समय घटित हो सकती है यदि एक मात्र आईटी पेशेवर किसी कारण से उपलब्ध नहीं होता है, के लिए कम से कम एक और आईटी पेशेवर की नियुक्ति करने की तत्काल आवश्यकता है। अत: एक और आईटी पेशेवर को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त किया गया है। आयोग को यह भी बताया गया कि आयोग में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) जो काफी समय से बंद पड़ा है, को स्थापित करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है।

आयोग ने इस पर अपना संतोष व्यक्त किया।
[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (8)]

## ञ.	एनसीएससी मुख्यालय के लिए 7वीं मंजिल पर कार्यालय स्थान का आबंटन

आयोग को यह अवगत कराया गया कि चूंकि आयोग में कार्यालय स्थान की बहुत कमी है और पिछले कई वर्षों से कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने की कार्रवाई की गई थी लेकिन उसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला था। इस मुद्दे पर आयोग की 11.10.2021 को आयोजित 5वीं पूर्ण बैठक में चर्चा की गई थी जिसमें आयोग मुख्यालय के लिए अतिरिक्त कार्यालय स्थान प्राप्त करने का निर्णय लिया गया था। आयोग ने इस मुद्दे को संपदा निदेशालय (डीओई) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उठाया था। तत्पश्चात् संपदा निदेशालय द्वारा आयोग को चौथी मंजिल पर कुछ कार्यालय स्थान (लगभग 4000 वर्ग फुट) आबंटित किया गया था। लेकिन आयोग को वह स्थान नहीं मिल पाया क्योंकि जिस विभाग का पहले से ही चौथी मंजिल पर कार्यालय स्थापित था उसने उसे खाली नहीं किया था।

तत्पश्चात्, संपदा निदेशालय के अधिकारियों और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एचयूए) के साथ माननीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोग में एक बैठक का आयोजन किया गया । अंततः आयोग को लोकनायक भवन की 7वीं मंजिल पर कार्यालय स्थान के लिए लगभग 17,000 वर्ग फुट जगह आबंटित की गई है। इसके बदले में, सातवीं मंजिल पर कार्यालय स्थान को लेने के बाद, आयोग के पास दूसरी, तीसरी और नौवीं मंजिल (लगभग 4000 वर्ग फुट) का जो स्थान था उसे खाली कर दिया गया है।

आयोग को यह भी जानकारी दी गई कि आयोग को सातवीं मंजिल पर आबंटित 17,000 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान में से लगभग 10,000 वर्ग फुट के कार्यालय स्थान को पूर्ण रूप से फर्निश कर दिया गया है और उसका उपयोग किया जा रहा है। शेष 7,000 वर्ग फुट को नवीनीकृत किया जाना है। नवीनीकृत का यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए, सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किया गया लेआउट प्लान आयोग के समक्ष रखा जाएगा।

आयोग ने इस पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की कि काफी अधिक प्रतीक्षा करने के बाद एनसीएससी मुख्यालय में कार्यालय स्थान की कमी को पूरा किया गया है। इसके अतिरिक्त, आयोग ने सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए लेआउट प्लान में कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया। सीपीडब्ल्यूडी संशोधित लेआउट प्लान को प्रस्तुत करेगी जिसे माननीय अध्यक्ष के समक्ष उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (9)(क)]

ट. मुम्बई में कार्यालय के स्थान के लिए आबंटन

आयोग को यह बताया गया कि संपदा निदेशालय के साथ इस मामले को बारम्बार उठाने के बाद और माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्य (एसआरपी) के व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप के बाद, संपदा निदेशालय हाल ही में एनसीएससी राज्य कार्यालय को पुणे से मुम्बई शिफ्ट करने के लिए निष्ठा भवन, चर्च रोड, मुम्बई में कार्यालय स्थान के लिए 4,830 वर्ग फुट आबंटित किया है। उक्त कार्यालय स्थान का अधिग्रहण 19.09.2022 को कर लिया गया है। इस कार्यालय स्थान को नवीनीकृत किए जाने की आवश्यकता है और नवीनीकरण का यह कार्य सीपीडब्ल्यूडी द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। इस प्रयोजन के लिए सीपीडब्यूडी द्वारा तैयार किया गया लेआउट भी आयोग के समक्ष रखा गया।

आयोग ने इस बात पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, कि अब आयोग का कार्यालय मुम्बई में स्थापित होगा जो सड़क मार्ग तथा हवाई मार्ग दोनों से अच्छी तरह से संबद्ध है और याचिकाकर्त्ताओं तथा प्राधिकारियों दोनों के लिए आयोग के कार्यालय जाना आसान होगा। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा तैयार किए गए लेआउट के संबंध में, कुछ संशोधनों का सुझाव दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी लेआउट प्लान संशोधित करेगी जिसे माननीय सदस्य (एसआरपी) जिनका महाराष्ट्र में अधिकार क्षेत्र है, को सबसे पहले दिखाया जाएगा और उन्होंने उस कार्य स्थान का भी दौरा किया है जो उन्हें मुम्बई में आबंटित की है। माननीय सदस्य (एसआरपी) द्वारा अनुमोदन के पश्चात , उसे आयोग के माननीय अध्यक्ष को दिखाया जाएगा।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (9)(ख)]

ठ. कोलकाता में कार्यालय स्थान की आवश्यकता

आयोग को यह बताया गया कि कोलकाता में एनसीएससी राज्य कार्यालय में कार्यालय स्थान की बहुत कमी है। अतिरिक्त/नया स्थान प्राप्त करने के लिए किए गए लगातार प्रयासों के बावजूद कोई वांछित परिणाम निकल कर सामने नहीं आया है। वर्तमान में, एनसीएससी राज्य कार्यालय मयुख भवन, साल्ट लेक सिटी (पश्चिम बंगाल सरकार के स्वामित्व वाला परिसर) में स्थित है जिसके पास 2,400 वर्ग फुट (लगभग) क्षेत्र है जबकि इसकी आवश्यकता 4,000 वर्ग फुट (लगभग) की है। काफी प्रयास करने के बावजूद, एमएसओ भवन, निजाम पैलेस अर्थात् अन्य स्थान में 1132 वर्ग फुट का कार्यालय स्थान आबंटित किया गया है। आयोग को यह भी बताया गया कि मयुख भवन (भूतल) में ही लगभग 2000 वर्ग फुट का कार्यालय स्थान खाली है।

आयोग ने यह इच्छा व्यक्त की कि यदि एमएसओ भवन, निजाम पैलेस अथवा सीजीओ कॉम्पलैक्स (दोनों केन्द्र सरकार के स्वामित्व में) में कार्यालय के लिए अपेक्षित स्थान नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, तो मयुख भवन में ही कार्यालय के लिए अतिरिक्त स्थान प्राप्त करने की कार्रवाई की जाए। आयोग को इस मामले में की गई प्रगति की सूचना समय-समय पर दी जाए।

आयोग ने इस पर अपना संतोष व्यक्त किया।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (9)(ग)]

ड. अगरतला में राज्य कार्यालय के नवीनीकरण के लिए निधियां जारी करना

आयोग को यह बताया गया कि एनसीएससी राज्य कार्यालय के नवीनीकरण के लिए निधियों को जारी करने के संबंध में तकनीकी मुद्दों को हल कर लिया गया है। सीपीडब्ल्यूडी को निधियां जारी करने के लिए नए सिरे से प्राधिकार पत्र जारी कर दिया गया है।

आयोग ने इसे नोट किया। आयोग ने इस पर अपना संतोष व्यक्त किया।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (9)(घ)]

ढ. आईटी अवसंरचना की खरीद

आयोग को यह बताया गया कि कार्यालय में न केवल आईटी अवसंरचना (कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर) की कमी है अपितु उनमें से अधिकतर बहुत पुराने हो गए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल में यह सुनिश्चित करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है कि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कतिपय मूल बेंचमार्क को पूरा करते हैं उन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खरीद की जाए। अत: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एनआईसी के साथ परामर्श करते हुए एनसीएससी (मुख्यालय) और आयोग के राज्य कार्यालयों के लिए आईटी अवसंरचना अर्थात् ऑल इन वन पीसी (52), लैपटॉप (7) और मल्टी फंक्शन प्रिंटर (19) की खरीद करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इन उपकरणों की खरीद जीईएम के माध्यम से, जीएफआर, 2017 के नियम 149 के अनुपालन में की जा रही है । सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी मूल्यांकन को अनुमोदित करने के बाद, वित्तीय मूल्यांकन आदि के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आर्डर शीघ्र ही किया जाएगा। आयोग को यह भी बताया गया कि चूंकि इन उपकरणों की खरीद के लिए 70 लाख से अधिक की राशि व्यय होने की संभावना है । अत: आईएफडी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

आयोग ने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की ।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (10)]

ण. पुराने वाहनों को कंडम करना और नए वाहनों की खरीद

आयोग को बताया गया कि पुराने वाहनों को कंडम करने, दो इनोवा क्रिश्टा और 4 सीआईएजेड की खरीद करने के लिए एक प्रस्ताव एमएसजेई को भेजा गया है। एमएसजेई ने यह चाहा है कि इस मामले को वित्त मंत्रालय के 01 सितम्बर,2022 के हाल के आदेश के मद्देनजर प्रस्ताव की पुन: जांच की जाए

जिसमें 4.75 लाख रुपए तक एनडीपी वाले सरकारी वाहनों की खरीद की गई है इस राशि को अब बढ़ाकर 6.00 लाख रुपए कर दिया गया है। आयोग को यह बताया गया कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 01.09.2022 के आदेश के तहत प्रस्ताव की पुनः जांच करने के बाद एमएसजेई को फाइल पहले ही भेजी जा चुकी है। एमएसजेई का अनुमोदन शीघ्र ही मिलने की आशा है।

आयोग ने इसे नोट किया।
आयोग ने अपना मत व्यक्त किया कि चूंकि भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण हर स्थान पर उपलब्ध नहीं है और आयोग ने इच्छा व्यक्त की कि भारतीय विमानन पत्तन प्राधिकरण से वाहन को कंडम करने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से अर्थात् संबंधित राज्य प्राधिकरणों से प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का पता लगाया जाए।
[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (11)]

त. आउटसोर्स स्टाफ प्रदान करने वाली एजेंसी को बदलना

आयोग की पिछले कई वर्षों से दो एजेंसियां आउटसोर्स जनशक्ति प्रदान कर रही थी, उनमें से एक एजेंसी नामतः सर्वेश जो आउटसोर्स स्टाफ को बहुत ही अनियमित रूप से भुगतान कर रहा था उसे नई एजेंसी के साथ बदल दिया गया है और यह एजेंसी एमएसजेई को जनशक्ति प्रदान कर रही है। यह नई एजेंसी समय पर भुगतान कर रही है।

आयोग ने इसे नोट किया। यह भी नोट किया गया कि भुगतान के संबंध में आउटसोर्स स्टाफ से कोई शिकायत नहीं मिली है।
[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (12)]

थ. एनसीएससी में वित्तीय शक्तियों के प्रतियोजन को संशोधित करना

आयोग को यह बताया गया कि आयोग मुख्यालय और एनसीएससी राज्य कार्यालयों के कारगर कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि मौजूदा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को संशोधित करके उन्हें केन्द्र सरकार के अन्य कार्यालयों में विद्यमान प्रक्रिया के अनुरूप बनाया जाए। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन को संशोधित करने का एक मसौदा तैयार किया गया है और उसे जारी करने की कार्रवाई चल रही है।

आयोग ने इसे नोट किया। यह भी निर्णय लिया गया कि यह कार्य एमएसजेई के आईएफडी के परामर्श से किया जाए।

[बैठक की कार्यसूची की क्रम संख्या 2 (14)]

द. वर्ष 2020-21 और 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन

आयोग को यह बताया गया कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए आयोग की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे आयोग के अवलोकन तथा अनुमोदन के लिए रखा गया है।

वार्षिक रिपोर्ट पर विचार-विमर्श किया गया। आयोग द्वारा कुछ संशोधन/परिशोधन का सुझाव दिया गया ताकि रिपोर्ट पर और अधिक ध्यान केन्द्रित किया जा सके। आवश्यक कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट माननीय अध्यक्ष के समक्ष उसके अवलोकन तथा अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

कार्यसूची की मद संख्या 3

आयोग को यह बताया गया कि एमएसजेई ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए अनुसूचित जाति की सूची में 'माहर, मेहरा, मेहर' के पर्यायवाची के रूप में 'महरा/महारा' को शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव के संबंध में एनसीएससी की टिप्पणी मांगी है। यह प्रस्ताव छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इसे भारत के महापंजीयक कार्यालय (आरजीआई) द्वारा समर्थित किया गया है। यह जाति मध्य प्रदेश राज्य में विद्यमान है।

लिया गया निर्णय
आयोग ने अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए विवरण का अवलोकन किया, मामले पर विचार-विमर्श किया और प्रस्ताव का समर्थन करने के बारे में निर्णय लिया। एमएसजेई को तदनुसार इसकी सूचना भेजी जाए।

कार्यसूची की मद संख्या 4

आयोग को यह बताया गया कि एमएसजेई ने प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) : डीएपीएससी स्कीम के अंतर्गत ''अवसंरचना का विकास और आयजन्य कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसूचित जाति के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एकबारगी वित्तीय सहायता प्रदान करना'' के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) हेतु मसौदा ज्ञापन के संबंध में एनसीएससी की टिप्पणी मांगी है। आयोग को यह भी सूचित किया कि एनसीएससी की

टिप्पणी तत्काल मांगी गई थी। अत: मामले की जांच करने के बाद एनसीएससी के दिनांक 11.10.2022 के पत्र सं.एनसीएससी-ईएसजीडब्ल्यू04/9/2022-ईएसडीडब्ल्यू (54673) के तहत एमएसजेई को प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए एक उत्तर भेजा गया है। इस संबंध में आयोग से कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया था।

लिया गया निर्णय

आयोग ने प्रस्तुत किए गए विवरण का अवलोकन किया, मामले पर विचार-विमर्श किया और इस संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची की मद संख्या 5

आयोग को यह बताया गया कि सहकारिता मंत्रालय ने ''देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और इसकी जड़ों को जमीनी स्तर तक पहुंचाने'' संबंधी मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा भेजा है और उस पर एनसीएससी की टिप्पणी मांगी है। आयोग को यह भी बताया गया कि एनसीएससी की टिप्पणी तत्काल भेजनी आवश्यक थी। अत: मामले की जांच करने के बाद आयोग के दिनांक 17.11.2022 के पत्र सं.एनसीएससी-एसएसडब्ल्यू107/1/2022-यूएस (एसएसडब्ल्यू)-[59072] के तहत 'शून्य' उत्तर भेजा है। इस संबंध में आयोग से कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया था।

लिया गया निर्णय

आयोग ने प्रस्तुत किए गए विवरण का अवलोकन किया, मामले पर विचार-विमर्श किया और इस संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची की मद संख्या 6

आयोग को यह बताया गया कि एमएसजेई ने जम्मू-कश्मीर की अनुसूचित जाति की सूची में बाल्मिकी के प्राय के रूप में वाल्मिकी समुदाय को शामिल करने के लिए अपने प्रस्ताव के संबंध में एनसीएससी की टिप्पणी मांगी थी। यह प्रस्ताव जम्मू-कश्मीर द्वारा भेजा गया था और आरजीआई द्वारा समर्थित किया गया था। आयोग को यह भी बताया गया था कि एनसीएससी की टिप्पणी तत्काल दी जानी आवश्यक है। अत: माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन से दिनांक 12.10.2022 के पत्र सं.एनसीएससी-एसएसडब्ल्यू1010/1/2022-यूएस-एसएसडब्ल्यू के तहत एमएसजेई को यह उत्तर भेजा गया है कि आयोग इस प्रस्ताव का समर्थन करता है। आयोग से इस संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन मांगा गया था।

लिया गया निर्णय

आयोग ने प्रस्तुत किए गए विवरण का अवलोकन किया, मामले पर विचार-विमर्श किया और इस संबंध में कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

अध्यक्ष के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुबंध-I

आयोग की दिनांक 23.11.2022 को आयोजित आठवीं पूर्ण बैठक के प्रतिभागियों की सूची।

क्रम सं.	नाम व पदनाम
1.	श्री विजय सांपला, माननीय अध्यक्ष, एनसीएससी - अध्यक्ष
2.	श्री अरुण हलदर, माननीय उपाध्यक्ष, एनसीएससी
3.	श्री सुभाष रामनाथ पारधी, माननीय सदस्य, एनसीएससी
4.	श्रीमती (डॉ.) अंजू बाला, माननीय सदस्य, एनसीएससी
5.	श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, सचिव, एनसीएससी
6.	श्री ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव, एनसीएससी
7.	सुश्री सनमीत कौर, डीआईजी (पुलिस), एनसीएससी
8.	श्री संदेश सक्सेना, निदेशक, एनसीएससी
9.	श्री कौशल कुमार, निदेशक, एनसीएससी
10.	श्री किशन चन्द, अवर सचिव, एनसीएससी
11.	श्री दिलीप कुमार गुप्ता, अवर सचिव, एनसीएससी
12.	श्रीमती आयुषी रस्तोगी, उप-निदेशक, एनसीएससी

*****